

उत्तर प्रदेश सरकार
ऊर्जा अनुभाग-1
संख्या-जी.आई.-151/24-पी-1/2005
दिनांक 23 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 14 के आठवें परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल यह अधिसूचित करते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1947) की धारा 3 के अधीन ग्राम सभा के रूप में घोषित समस्त क्षेत्र सन् 2003 के उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ ग्रामीण क्षेत्र होंगे।

आज्ञा से,

अशोक कुमार खुराना
प्रमुख सचिव
ऊर्जा विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार।

(Handwritten Signature)
23/12
JS (2)

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, विद्युत, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, भा. मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ।
11. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)
(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या : जी.आई.-151/24-पी-1/2005 दिनांक 23 दिसम्बर, 2005।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशवाग शाखा, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है।

आज्ञा से,



(मो. गारुफ)
अनुसचिव।